भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *177

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

फास्टैग आधारित वार्षिक पास

*177. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 3000 रुपए देकर 200 फेरे लगाने के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पथकर प्रणाली पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो आम जनता को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा;

(ख) क्या यह प्रणाली राज्य सरकारों के राज्य राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों पर भी लागू होने की संभावना है और यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस वार्षिक पास योजना के अंतर्गत फेरों की सीमा अथवा समय-सीमा से संबंधित मुद्दे ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो इनका समाधान किस प्रकार किए जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार वार्षिक पास योजना के अंतर्गत सभी टोल प्लाजाओं पर यात्रियों के लिए सुविधाओं में एकरूपता किस प्रकार सुनिश्चित करेगी;

(च) क्या ऐसी कोई योजना वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या लंबी कतारों से निपटने के लिए टोल प्लाजाओं पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए अतिरिक्त द्वार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव/योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (छ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

फास्टैग आधारित वार्षिक पास के संबंध में श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर और श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा दिनांक 31.07.2025 पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 177 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) जी, हां। सरकार ने 17 जून, 2025 को प्रकाशित राजपत्र संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि 388 (अ) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में संशोधन कर दिया है। संशोधन गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए वार्षिक पास की शुरुआत करता है, जो 15 अगस्त, 2025 से लागू होगा। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पंजीकृत एक यांत्रिक वाहन का मालिक है और जिसके पास वैध और कार्यात्मक फास्टैग है, वह प्रत्येक शुल्क प्लाजा पर उगाही योग्य शुल्क के बावजूद तीन हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के पश्चात पास प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जो एक वर्ष के लिए या राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर दो सौ क्रॉसिंग, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा;

(ख) से (ग) वार्षिक पास राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (एनई) शुल्क प्लाज़ा पर लागू है। हालाँकि वार्षिक पास वर्तमान में राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं है, फिर भी यदि राज्य सरकार राज्य राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के लिए ऐसी पास प्रणाली शुरू करने की इच्छुक है, तो इस उद्देश्य के लिए पूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

(घ) वार्षिक पास योजना 15 अगस्त, 2025 से लागू होगी। यह गैर-वाणिज्यिक कार/जीप/वैन के मौजूदा फास्टैग पर सक्रिय होगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर एक वर्ष या अधिकतम दो सौ क्रॉसिंग तक, जो भी पहले हो, यात्रा की अनुमति मिलेगी।

सड़क प्रयोक्ता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ई-नोटिस पोर्टल, राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033, समर्पित ईमेल- falsededuction@ihmcl.com, फास्टैग जारीकर्ता बैंक हेल्पलाइन या राजमार्गयात्रा ऐप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

(ड.) सड़क प्रयोक्ता देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर वार्षिक पास सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) ढांचे के तहत देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध सुविधाएँ वार्षिक पास प्रयोक्ताओं के लिए भी अपरिवर्तित रहेंगी।

चूँकि वार्षिक पास मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, इसलिए सभी मानक सुविधाएँ सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर समान रूप से उपलब्ध रहेंगी।

(च) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार, जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रयोक्ता शुल्क में छूट तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित प्रयोक्ताओं के लिए मासिक पास का प्रावधान है।

(छ) जी, नहीं । सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम के अंतर्गत फास्टैग के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रह के लिए 15/16 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा की सभी लेन को पहले ही फास्टैग लेन घोषित कर दिया है।

*****